राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736

अंतिम अवसर

क्रमांक : एफ 4 ( )आकाशि /नि. सं./ 2020/ 254 दिनांक: 19 जून 2020

समस्त प्राचार्य
निजी एवं बीएड महाविद्यालय
राजस्थान

विषय : AISHE 2019-20 के लिए DCF-II अपलोड करने की अंतिम दिनांक बढाकर 30.06.2020 करने बाबत ।

सन्दर्भ: आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 3.1.2020, क्रमांक 1749 दिनांक 4.2.2020 , क्रमांक 1766 दिनांक 03.03.2020, क्रमांक 1767 दिनांक 20.03.2020 व क्रमांक 1771 दिनांक 06.05.2020

महोदय एवं महोदया

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है की आपको मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in) पर वर्ष 2019-20 का ऑनलाइन सर्वे 31.05.2020 तक अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आदिनांक तक 23% महाविद्यालयों ने अपना DCF-II अपलोड नहीं किया है, अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि आप अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2020 से पूर्व अपलोड करें। यदि आपके महाविद्यालय का नाम AISHE पोर्टल पर दर्ज नहीं है तो इसे "Request for Adding Institute" लिंक पर अपना request फॉर्म भरें साथ में PDF फॉर्मेट में नवीनतम NOC व affiliation letter एक ही फाइल में अपलोड कर सम्बद्धक विश्वविद्यालय से approve करवाना सुनिश्चित करें । निजी महाविद्यालय अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय से तकनीकी मदद के लिए विभागीय आदेश क्रमांक FACCE/Policy/PI/2020/161, दिनांक 31.5.19 का अवलोकन करलें (ये पत्र विभागीय वेबसाइट पर सम्बंधित तिथि पर उपलब्ध है।) । इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी व गाइडलाइन्स AISHE पोर्टल http://aishe.nic.in पर उपलब्ध है। इसी क्रम में अन्य जानकारी एवं सहायता हेतु 0141-2706106 पर डॉ संदीप कुमार/ श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है।

निजी महाविद्यालयों की राज्य सरकार की नीति 2020-2021 के बिंदु संख्या 15.1 के अनुसार DCF-II अपलोड करना अनिवार्य किया जा चुका है। संदर्भित पत्रों द्वारा इस हेतु आपको कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं, अत: यह अंतिम अवसर है । यदि आपके द्वारा नियत तिथि तक DCF-II अपलोड नहीं किये गए तो राज्य सरकार/ भारत सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

प्रदीप कुमार बोरड, IAS
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :

1. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय को भेज कर लेख है कि वे इस सर्वे हेतु नोडल राजकीय महाविद्यालयों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कराते हुए समस्त निजी एवं बीएड महाविद्यालयों से भी DCF-|| अपलोड करवाने हेतु समन्वय करावें ।
2. समस्त नोडल राजकीय महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अधीन सामान्य निजी महाविद्यालयों व बीएड महाविद्यालयों को अपने स्तर पर दूरभाष/SMS पर उन निरंतर सूचित करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व DCF-II अपलोड करने हेतु निर्देशित करें। DCF-II अपलोड करने में यदि निजी महाविद्यालयों/ बी.एड. महाविद्यालयों को तकनीकी सहायता आवश्यक हो तो उन्हें महाविद्यालय में यह सहायता उपलब्ध करवाते हुए उस महाविद्यालय का DCF-|| अपलोड संपन्न करवाने का श्रम करें ।
3. वेब प्रभारी को अपलोड करने हेतु ।

डॉ. अल्पना व्यास
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएँ)